न्यायालयः अपर सत्र न्यायाधीश, नवम्, कटिहार।

जनपद– कटिहार (बिहार)

A.B.P.No.-36/2026

Dandkhora P.S. Case No- 143/2025

1. पिंकी देवी पति श्री रामचन्द्र मंडल, उ0त0 35 वर्ष,
   निवासी ग्राम– तिलास,
2. राहुल कुमार पिता स्व0 बैजनाथ मंडल, उ0त0 22 वर्ष,
   निवासी ग्राम– रघेली, सभी थाना– डंडखोरा,
   जिला– कटिहार ....आवेदकगण।

बनाम

बिहार सरकार ....अभियोजन।

अभियोजन की ओर विद्वान अधिवक्ता अ0 लो0 अभि0 श्री सरदार यशवंत सिंह।

आवेदकगण की ओर से विद्वान अधिवक्ताः श्री.............................. योगानन्द सिंह।

उपस्थितिः– महेन्द्र प्रसाद यादव, अपर सत्र न्यायाधीश, नवम्, कटिहार।

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

A.B.P.No.-312/2026

Dandkhora P.S. Case No- 143/2025

3. विद्यानंद मंडल पिता श्री खुबलाल मंडल, उ0त0 60 वर्ष,
4. रतन कुमार मंडल पिता विद्यानंद मंडल, उ0त0 35 वर्ष,
5. रवि कुमार मंडल पिता विद्यानंद मंडल, उ0त0 28 वर्ष,
6. मंजूला देवी पिता विद्यानंद मंडल, उ0त0 55 वर्ष,
7. चांदनी देवी पिता रतनकुमार मंडल उ0त0 30 वर्ष,
8. हीरालाल मंडल पिता स्व0 खुबलाल मंडल, उ0त0 55 वर्ष,
9. सरीता देवी पिता हीरालाल मंडल, उ0त0 50 वर्ष,
   सभी निवासी ग्राम– तेलास, सभी थाना– डंडखोरा,
10. रेशम कुमारी, पिता सतीश मंडल, उ0त0 22 वर्ष,
    निवासी ग्राम– रघेली, थाना– डंडखोरा
    जिला– कटिहार ....आवेदकगण।

बनाम

बिहार सरकार ....अभियोजन।

अभियोजन की ओर विद्वान अधिवक्ता अ0 लो0 अभि0 श्री सरदार यशवंत सिंह।

आवेदकगण की ओर से विद्वान अधिवक्ताः श्री.................................... संजय सिंह।

उपस्थितिः– महेन्द्र प्रसाद यादव, अपर सत्र न्यायाधीश, नवम्, कटिहार।

दिनांकः 11.03.2026 **आदेश**

1. प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन दिनांक 09.01.2026 एवं 24.02.2026 को आवेदकगण की ओर से नवीन वकालतनामा के साथ विद्वान अधिवक्ता श्री योगानन्द सिंह एवं श्री संजय सिंह द्वारा दाखिल की गयी है।

जमानत आवेदन की प्रतिलिपि विद्वान अपर लोक अभियोजक को उपलब्ध करायी गयी है। दोनों अग्रिम जमानत आवेदन एक ही थाना कांड से संबंधित होने के कारण दोनों आवेदन पर एक साथ आदेश पारित किया जाता हैं।

2. अभियोजन का संक्षिप्त केस यह है कि सूचक विद्यानन्द मंडल ने थानाध्यक्ष, डंडखोरा थाना को एक लिखित आवेदन देते हुए कथन किया है कि दिनांक 20.12.2025 को समय करीब 1:00 बजे दिन में मेरा बड़ा बेटा पंचानन्द मंडल, पिंकी देवी मेरे घर पर आकर मुझे तथा मेरी पत्नी के गन्दा गन्दा गाली देकर बोलने लगा कि घर से बाहर निकलो। आज तुम लोग को जान मार देंगे तथा इसी बीच पिंकी देवी मेरे घर के बाहर में लगा हुआ एक सी0सी0टी0वी0 कैमरा को ईंट का टुकड़ा चला कर तोड़ दिया। तब मैं घर से बाहर निकल कर बोलने लगा कि तुम लोग इस तरह से क्यों कर रहा है। इस पर पिंकी देवी मुझे जान मारने के नियत से इंट का टुकड़ा चला कर मारने लगा। कई बार मेरा शरीर पर चोट लगा। लेकिन पिंकी देवी आज मेरा जान मारना चाहती थी। वह एक बड़ा सा इंट का टुकड़ा मेरा सर पर चला कर जोर से मार दिया, जिससे मेरा सर पर चोट लगा और मेरा सर गंभीर रूप से फट गया और काफी खून बहने लगा। और मैं जख्मी होकर जमीन पर गिर गया। उसके बाद पंचानन्द मंडल मुझे लाठी से पीटने लगा। तब मैं रोने चिल्लाने लगा तो अगल बगल के लोग एवं मेरी पत्नी और बेटा सब आकर मेरा जान बचाया। तब उक्त दोनों वहां से भागते हुए धमकी दिया कि आज तो बच गया लेकिन किसी दिन तुम्हें जान मार देंगे, लेकिन मुझे जख्मी देख कर मेरा बेटा रतन कुमार मंडल और मेरी पत्नी मेरा ईलाज करवाने डंडखोरा पी0एच0सी0 लेकर आया। जैसे मेरा बेटा टेम्पु से मुझे बाहर निकालने लगा कि अचानक राहुल कुमार डंडखोरा पी0एच0सी0 के प्रांगन में ही मेरा बेटा रतन कुमार मंडल को फाईट मुक्का से मारने पीटने लगा तथा मेरा बेटा का जाकेट कमीज पकड़ कर फाड़ दिया। तब तक वहां मौजूद लोग मेरा बेटा को बचाया तब राहुल कुमार धमकी दिया कि हम तुम लोग को गोली मार देंगे। राहुल कुमार अपना बहन पिंकी देवी का पक्ष लेकर मारपीट किया।

3. अग्रिम जमानत के बिन्दु पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री योगानन्द सिंह एवं विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री सरदार यशवंत सिंह को सुना।

4. आवेदकगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री योगानन्द सिंह द्वारा कथन किया गया है कि आवेदकगण की ओर से गिरफ्तारी की आशंका से यह अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल किया गया है। आवेदकगण की ओर से इस अग्रिम जमानत आवेदन के अलावे अन्य कोई नियमित अथवा अग्रिम जमानत आवेदन इस न्यायालय या मान्नीय उच्च न्यायालय, पटना में दाखिल नहीं किया गया है। आवेदकगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदकगण बिल्कुल निर्दोष हैं तथा उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। आवेदकगण को इस वाद में झूठा फंसाया गया है। धारा 109 भारतीय न्याय संहिता को छोड़कर अन्य सभी धाराएं जमानतीय प्रकृति की है। चिकित्सक की राय में जख्मी का जख्म साधारण प्रकृति का पाया गया है। आवेदकगण स्थानीय और सक्षम जमानतदार न्यायालय की संतुष्टि पर देने के लिए तैयार है तथा वह धारा 482 बी0एन0एस0एस0 के अन्तर्गत दिये गये शर्तों का पालन करने के लिए तैयार है। अतः न्यायहित में आवेदकगण को अग्रिम जमानत पर मुक्त करने की कृपा किया जाये।

5. विद्वान अपर लोक अभियोजक ने जमानत आवेदन का विरोध करते हुए कथन किया है कि आवेदकगण के विरूद्ध लगाया गया आरोप गंभीर प्रकृति की है। अतः यह अग्रिम जमानत पाने के अधिकारी नहीं है।

6. उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना एवं संपूर्ण अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे विदित है कि विद्यानन्द मंडल के लिखित आवेदन के आधार पर डंडखोरा थाना कांड संख्या– 143/2025 दिनांक 21.12.2025 भारतीय न्याय संहिता की धारा 126(2), 115(2), 109, 351(2),(3), 352, 3(5) के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज किया गया है। कांड दैनिकी की कंडिका 8, 9 में साक्षियों ने प्राथमिकी आवेदन का समर्थन किया है। कांड दैनिकी के कंडिका 70 एवं 81 से विदित है कि अभियुक्तों के विरूद्ध कोई आपराधिक इतिहास नहीं पाया गया है। जख्मी विद्यानंद मंडल का जख्म चिकित्सक की राय में कठोर एवं कुंद पदार्थ से कारित किया गया, साधारण प्रकृत का पाया गया है। उभय पक्षों हस्ताक्षरित एवं उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा अभिप्रमाणित सुलहनामा में कहा गया है कि उभय पक्ष आपस में पिता–पुत्र, पुत्रवधु एवं सगे–संबंधी है, दोनों पक्षों के बीच में

ग्रामीण पंचों एवं शुभचिंतकों द्वारा आपस में सुलह करा दिया गया है जिससे अन्य लोगों को भी कोई विवाद एवं मतभेद नहीं रह गया हैं। इस प्रकार सूचक अभियुक्त पंचानन्द मंडल के पिता है एवं पिंकी देवी के ससुर है एवं राहुल कुमार के सनबाप है तथा कथित घटना की तिथि व समय को अभियुक्त अपने पिता विद्यानंद मंडल से केवल यह पूछने गया आप 6–7 कट्ठा जमीन दिये थे तो आप उसी जमीन को चुपके से किसी दूसरे के पास क्यों बेच दिये यह विवाद तब उत्पन्न हुआ जब जमीन खरीदने वाला जमीन का नापी करके जमीन पर ने निकला पंचानंद एवं पिंकी देवी पूछा कि जब आप हमलोगों को जमीन बांट कर दिये थे फिर दूसरे के पास कैसे बेच दिये इसी पर पिता पुत्र के बीच कहा सुनी हुआ। इस प्रकार स्पष्ट है कि उभय पक्षों ने आपस में राजीखुशी से बिना किसी जोर दबाव के सुलह कर लिया है, जिससे घटनास्थल पर किसी प्रकार की शांति भंग होने अथवा साक्ष्य अथवा साक्षियों के साथ छेड़छाड़ किये जाने की कोई संभावना नहीं है।

7. मामले के उपरोक्त विवेचन तथा उभय पक्षों में हुए संधि को देखते हुए उन्हें अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है, तदनुसार आवेदकगण को आदेश की तिथि/आदेश प्राप्त होने की तिथि से चार सप्ताह के अन्दर विद्वान विचारण न्यायालय में आत्मसमर्पण करने या पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये जाने पर मो0 10,000/–रूपये एवं समान राशि के दो प्रतिभुओं का बंधपत्र भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 482(2) में वर्णित उपबंधों के पालन में वचन पत्र के साथ दाखिल करने पर विद्वान विचारण न्यायालय की संतुष्टि पर अग्रिम जमानत पर मुक्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। कार्यालय लिपिक आदेश की प्रति विद्वान विचारण न्यायालय को भेजें तथा अभिलेख नियमानुसार अभिलेखागार में जमा करें।

लेखापित

(महेन्द्र प्रसाद यादव)
अपर सत्र न्यायाधीश, नवम्
कटिहार।